रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257] नई दिल्ली, सोमवार अक्टूबर 9, 1972/आश्विन 17, 1894
No. 257] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1972/ASVINA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

New Delhi, the 9th October 1972

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by article 263 of the Constitution, the President hereby makes the following modifications in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 238. dated the 1st February, 1968:—

1. In the preamble to the said Order,—

 (i) after the words "sales tax", in both the places where they occur, the words "and State excise duties" shall be inserted;

 (ii) for the words "that subject", the words "those subjects" shall be substituted.

2. In paragraph 1 of the said Order,—

 (1) in sub-paragraph (1), for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

 "(a) the Northern Zone, comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh and Delhi;

(b) the Eastern Zone, comprising the States of Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura and West Bengal and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram;

(c) the Western Zone, comprising the States of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu;";

(2) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) (a) The Regional Council for each Zone shall consist of,—

(i) the Secretary for the time being in charge of sales tax and State excise duties, or where different Secretaries are in charge of sales-tax and State excise duties, each of those Secretaries in each of the States or Union territories concerned;

(ii) the Commissioner or Commissioners of sales-tax and State excise duties, or where there are different Commissioners for sales-tax and State excise duties, each of those Commissioners, or where there is no such Commissioner or Commissioners, the head or heads of the sales-tax and excise department or departments, in each of the States or Union territories concerned;

(iii) the Director or Directors and the Deputy Secretary or Deputy Secretaries to the Government of India, in the Ministry of Finance, who are for the time being in charge of both or either of the subjects of sales-tax and Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955;

(b) the Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs who is for the time being in charge of the Union territory of Delhi shall, in additional to the members referred to in clause (a), be a member of the Regional Council for the Northern Zone.";

(3) in sub-paragraph (7), after the word "sales-tax", the words "or State excise duties or both" shall be inserted;

(4) in sub-paragraph (10), after the word "sales-tax", wherever it occurs, the words "or State excise duties or both" shall be inserted;

(5) in sub-paragraph (11), for the words and brackets "the Deputy Secretary to the Government of India, in the Ministry of Finance (who is, for the time being, in charge of sales-tax)", the words "the officer, or as the case may be, the senior most officer of the Ministry of Finance who is for the time being a member of the Regional Councils" shall be substituted.

3. In paragraph 2 of the said Order, after the brackets and words "(including Central Sales-tax)", the words "and State excise duties" shall be inserted.

4. In paragraph 4 of the said Order,—

(1) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) Where two or more Regional Councils, agree to have point meeting of such Councils, or where the officer, or as the case may be, the senior most officer of the Ministry of Finance who is for the time being a member of the Regional Councils, considers that it is necessary to hold such a meeting, a joint meeting of such Councils shall be convened by such officer.";

(2) in sub-paragraphs (2) and (3), for the words "Deputy Secretary aforesaid", the words "the Officer, or as the case may be, the senior most officer aforesaid" shall be substituted.

[No. 11/17/70-ST.]

O. P. MEHRA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 1972

सा० का० नि० 431 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश संख्या सा० का० नि० 238, तारीख 1 फरवरी 1968 में निम्नलिखित उपान्तरण एतद्द्वारा करते हैं, अर्थात् :—

1. उक्त आदेश की उद्देशिका में,—

(i) उन दोनों स्थानों पर जहां "विक्रय कर" शब्द आये हैं, उन शब्दों के पश्चात् "और राज्य उत्पाद-शुल्क" शब्द जोड़ दिये जायेंगे;

(ii) "उस विषय" शब्दों के स्थान पर "उन विषयों" शब्द रखे जायेंगे ।

2. उक्त आदेश के पैरा 1 में,—

(i) उप-पैरा (1) में, खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे; अर्थात् :—

"(क) उत्तरी क्षेत्र जिसमें हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित होंगे;

(ख) पूर्वी क्षेत्र जिसमें असम, बिहार, मणिपुर मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल के राज्य तथा अरुणाचल प्रदेश और मीजोरम के संघ राज्यक्षेत्र भी सम्मिलित होंगे;

(ग) पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य तथा दादरा और नागर हवेली और गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित होंगे;

(2) उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) (क) प्रत्येक क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(i) प्रत्येक सम्बद्ध राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में विक्रय कर और राज्य उत्पाद शुल्क का तत्समय प्रभारी सचिव, अथवा जहां विक्रय कर और राज्य उत्पाद शुल्क के लिए भिन्न-भिन्न सचिव हों, वहां इनमें से प्रत्येक सचिव;

(ii) प्रत्येक सम्बद्ध राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में विक्रय कर और राज्य उत्पाद शुल्क का आयुक्त अथवा सभी आयुक्त अथवा जहां विक्रय कर और राज्य उत्पाद शुल्क के लिए भिन्न-भिन्न आयुक्त हों, वहां उनमें से प्रत्येक आयुक्त, अथवा जहां ऐसा कोई आयुक्त न हो वहां विक्रय कर और उत्पाद विभाग का अध्यक्ष अथवा विभागों के अध्यक्ष;

(iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में विक्रय कर तथा औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के दोनों अथवा किसी भी विषय के तत्समय प्रभारी निदेशक और उप सचिव;

(ख) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का उप सचिव जो तत्समय दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र का प्रभारी हो और इसके अतिरिक्त खंड (क) में निर्दिष्ट सदस्य जो उत्तरी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य हों।"

(3) उप-पैरा (7) में "विक्रय-कर" शब्दों के पश्चात् "अथवा राज्य उत्पाद शुल्क या दोनों" शब्द जोड़े जायेंगे;

(5) उप-पैरा (10) में "विक्रय कर" शब्द जहां जहां आया हो, उसके पश्चात् "अथवा राज्य उत्पाद शुल्क या दोनों" शब्द जोड़े जायेंगे;

(5) उप-पैरा (11) में "भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप-सचिव (जो तत्समय विक्रय कर के प्रभारी हों)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "यथास्थिति वित्त मंत्रालय का अधिकारी अथवा वरिष्ठतम अधिकारी जो तत्समय क्षेत्रीय परिषदों का सदस्य हो" शब्द रखे जायेंगे।

3. उक्त आदेश के पैरा 2 में "(जिसमें केन्द्रीय विक्रय कर सम्मिलित है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "(जिसमें केन्द्रीय विक्रय कर और राज्य उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं)" शब्द और कोष्ठक रखे जायेंगे।

4. उक्त आदेश के पैरा 4 में,—

(1) उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1) जहां दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदें ऐसी परिषदों का संयुक्त अधिवेशन करने के लिए सहमत हों, अथवा जहां, वित्त मंत्रालय का यथास्थिति अधिकारी अथवा वरिष्ठतम अधिकारी जो तत्समय क्षेत्रीय परिषदों का सदस्य हो, यह विचार करे कि ऐसा अधिवेशन आयोजित करना आवश्यक है वहां ऐसी परिषदों का संयुक्त अधिवेशन ऐसे अधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा।"

(2) उप-पैरा (2) और (3) में "उपर्युक्त उप सचिव" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति उपर्युक्त अधिकारी अथवा वरिष्ठतम अधिकारी" शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 11/17/70—एस० टी०]

ओम प्रकाश मेहरा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972